बइलजासः— वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
अपील संख्या :—17 / 16

1. संती पुत्री सरजू उर्फ सुरजन पत्नि मंगल सिंह जाति मजहबी निवासी चक 8 वी तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. भजनकौर पत्नि प्रकाशसिंह पुत्र सरजू उर्फ सुरजन जाति मजहबी निवासी चक 19 एच तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अपीलांटस

बनाम

1. प्रकाश सिंह पुत्र सरजू उर्फ सुरजन जाति मजहबी निवासी चक 19 एच तह0
   श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

—रस्पोडेंटस

उपस्थितः—
1. श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़,एडवोकेट अपीलांटस की ओर से
2. श्री दुर्गा प्रसाद एडवोकेट रैस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से

निर्णय दिनांक 26/07/17

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट संख्या 1 के पिता सुरजन सिंह व अपीलांट संख्या 2 के ससुर सुरजन सिंह को उक्त आराजी वाके चक 19 एच तह. श्रीकरणपुर पूर्व मु. नं. 47 हाल 44 के किला नं. 4 ता. 7, 14 ता. 16, किला नं. 25 कुल 8 बीघा भूमि बतौर माफी कोटवाल अलाट हुई थी जिसकी सनद जारी होने के पश्चात सुरजन सिंह के नाम से बतौर खातेदार उक्त आराजी दर्ज हो गयी। सुरजन सिंह का देहांत होने के पश्चात अपीलकृत इतंकाल प्रकाश सिंह रेस्पोडेन्ट व साधु सिंह के नाम से कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट संख्या 1 सुरजन सिंह की पुत्री है तथा यह कथन करना उचित होगा कि साधु सिंह का देहांत इतंकाल होने से पूर्व हो गया था इसलिए साधु सिह के हक में किया गया इतंकाल पूर्णतः विधि विरूद्ध है, इसिलए अपीलांट संख्या 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर इतंकाल दर्ज होना चाहिए था। चुंकि संती प्रकाश सिंह की बहन है इसलिए वह अपील करने की अधिकारी है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का एक ही परिवार है। इसलिए अपीलांटान ने कभी भी रेस्पोडेन्ट से इस आराजी के संबंध में बातचीत नहीं की। अपीलांट प्रकाश सिंह ने दिनांक 09.08.2016 को अपने मायके गई और रेस्पोडेन्ट सं0 01 से निवेदन किया कि उसे उसके हिस्से की इतंकाल की कॉपी दी जावे ताकि वह अपने नाम से

ा कलेक्टर (सतर्कता)
ीगंगानगर

लगातार पेज 2

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा ले। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया कि अपीलांट के नाम से इतंकाल नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा गंगानगर में आकर राजस्व रिकार्ड की छानबीन की जिस पर इतंकाल की नकल हेतु दिनांक 10.08.2016 को प्राप्त हुई जिसमें अपीलांटस का नाम दर्ज नहीं था इसके पश्चात अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से संपर्क करती रही और निवेदन करती रही कि स्वंय चलकर 1/2 हिस्सा का इतंकाल उक्त आराजी मे करा देवें, परंतु वह टालमटोल करता रहा। अब अपीलांट संख्या 1 को अपील करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा। इसलिए अपीलांट संख्या 1 बिना किसी देरी से मौजदू अपील प्रस्तुत कर रही है। अपीलांट को अपीलकृत इतंकाल की कोई जानकारी नहीं थी, न ही इतंकाल करते समय अपीलांट संख्या 1 को कोई नोटिस दिया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत इतंकाल पारित करते समय किसी काननूी प्रकिया का पालन किया, न ही ग्राम पंचायत से वारिसनामों के संबंध में रिकार्ड लिया या तस्दीक ली। इस प्रकार अपीलकृत आदेश प्रारम्भिक रूप से शून्य है। अपीलांट को दिनांक 10.08.2016 को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। दिनाक 10.08.2016 के बाद अपीलांट ने पारिवारिक रूप से समझौता करके इतंकाल करवाने का प्रयास किया परंतु रेस्पोडेन्ट ने इतंकाल स्वयं चलकर करने से टालमटोल की इसलिए अपील सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 10.08.2016 से अंदर मियाद बिना किसी देरी से प्रस्तुत की जा रही है। बाकी तथ्य बरवक्त बहस निवेदन किये जायेगे, परंतु यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलांट संख्या 2 इसलिए पक्षकार बनी है कि उसके पति द्वारा इंतकाल गलत दर्ज करवाया गया है इसलिए वह स्वयं चाहती है कि प्रकाशसिंह की बहन संती जो अपीलांट संख्या 1 है कर दिया जावे। अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अदालतवाला को हासिल है। अपील सर्वप्रथम ज्ञान से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व रैस्पाडेंटस को सुनवाई हेतु तलब किया गया। रैस्पोडेंट सं0 2 की ओर से श्री दुर्गा प्रसाद एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अपीलांट सं0 1 व 2 की ओर से श्री प्रेम प्रकाश मक्कड. एडवोकेट उपस्थित हैं। संबंधित रिकार्ड मंगाया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता अपीलांटस का अपनी बहस में कथन है कि अपीलकृत आराजी सुरजनसिंह को बतौर माफी कोटवाल अलाट हुई। सुरजनसिंह का देहान्त होने के बाद आराजी का इन्तकाल प्रकाश सिंह व साधूसिंह के नाम से कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। चूँकि साधूसिंह का देहान्त इन्तकाल होने से पूर्व हो गया था। अतः अपीलांट संख्या 1 व रैस्पो. संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर इन्तकाल दर्ज होना चाहिये था। सन्ती प्रकाश सिंह की बहिन है इसलिये अपील करने की अधिकारी है। अपीलाट संख्या 2 इस कारण से पार्टी बनी है क्योंकि उसके पति द्वारा इन्तकाल गलत दर्ज करवाया गया है। अपीलकृत इन्तकाल अपास्त फरमाया जावे।

इसके विरोध में लायक वकील रैस्पो. संख्या 2 द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई।

कलैक्टर (सतर्कता)
गंगानगर

लगातार पेज 2

17/16 अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

A2
5

समायत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया।

जहां तक मियाद का बिन्दु है इस संबंध में अपीलांटस द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम की दरख्वास्त पेश की है व अपीलाधीन आदेश का ज्ञान 10.08.2016 को होना बताया है अपील काफी देरीना की है । मियान अधिनियम के तहत उपबंध हैं कि दिन ब दिन की देरी को प्रमाणित किया जाना चाहिये इस मामले में ज्ञान के आधार पर अपील पेश की है व शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः ज्ञान के आधार पर पेश अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। इस संबंध में रैस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई है। अतः दफा 5 की दर0 स्वीकार की जाती है।

अपीलकृत आराजी सुरजन पुत्र मामू के नाम से खातेदारी थी। पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल संख्या 14 भरा गया कि सुरजन खातेदार फौत हो चुका है। जिसके वारिसान में हस्ब तस्दीक कुर्सीनामा सुरजन के दो लडके प्रकाश सिंह व साधूसिंह हैं ओर कोई वारिस नहीं हैं उक्त इन्तकाल निरीक्षक भू अभिलेख केसरीसिंहपु द्वारा 2.04.75 को मिलान किया गया व बाद मिलान अंकन सही माना तत्पश्चात जिसे नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर द्वारा 03.04.75 तस्दीक किया गया। हस्तगत अपील में जांच के दो बिन्दु निहित हैं :–

(1.) जहां तक वकील अपीलांटस का कथन है कि सुरजन के एक पुत्री सन्ती भी थी जो भी अपीलकृत भूमि में हिस्सेदार थी लेकिन इस संबंध में वकील अपीलांटस की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि सन्ती सुरजन की पुत्री थी। यह जांच का विषय है कि अपीलाट संख्या 01 सुरजन की पुत्री थी।

(2) दूसरे सुरजन के पुत्र साधूसिंह का देहान्त होना बताया गया है व साधूसिंह की मृत्यु इन्तकाल दर्ज होने से पूर्व होना बताया गया है। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई कि साधूसिंह का देहान्त कब हुआ न ही इसका कोई अंकन इन्तकाल में किया गया। क्या साधूसिंह लाऔलाद फौत हुआ। उक्त दोनों बिन्दुओं की जांच अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा की जानी नहीं पाई जाती।

अतः बिना सुनवाई के किया गया निर्णय अपास्त योग्य है जो अपास्त किया जाता है व मामला अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय किया जाये।

निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को मय रिकार्ड के भिजवाई जाती है कि निर्णय में विहित बिन्दुओं की जांच कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर